दह टका | दश टाका | દસ રૂપિયા | ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ | പത്തു രൂപ | दहा रुपये | ଦଶ ଟଙ୍କା | ਦਸ ਰੁਪਏ | दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO का0 चेयरमैन/जन सूचना अधिकारी
PGCIL, बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल
एरिया, कटवारिया सराय नई दिल्ली-
110016

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

संजय मिश्र
EWS-397
राप्तीनगर फेज-IV
स्पोर्ट्स कालेज के पीछे
चरगांवा, गोरखपुर-273013

सत्यमेव जयते

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

Jankipuram Vistar P.O.
LUCKNOW-226031

46F 467429

दिनांक - 21-05-2020

प्रेषक - संजय मिश्र
EWS - 397
राप्तीनगर फेज - IV
स्पोर्ट्स कॉलेज के पीछे
चरगांवा, गोरखपुर - 273013
मो० - 9450088156

सेवा में,
कार्यालय चेयरमैन / जन सूचना अधिकारी
पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया
कटवारिया सराय
नई दिल्ली - 110016

महोदय, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थी निम्न-लिखित सूचना प्राप्त करना चाहता है।

दिनांक 14.11.2018 को एक शिकायती पत्र (प्रति संलग्न) रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा मैंने आपको दिया था एवं दिनांक 30-05-2019 को मैंने CBI, लखनऊ को एक पत्र (प्रति संलग्न) लिखा था, दिनांक 07.06.2019 को श्री राजेन्द्र गुर्जर जी, उप महाप्रबन्धक (सतर्कता) का पत्र (प्रति संलग्न) प्राप्त हुआ एवं उपरोक्त प्रकरण में मेरे पहचान पत्र के साथ मेरे पुष्टि पत्र की माँग की गई दिनांक 29.06.2019 को मैंने पहचान पत्र के साथ पुष्टि पत्र (प्रति संलग्न) लिख कर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा कि दिनांक 14.11.2018 को मैंने ही शिकायती पत्र लिखा था।

(1) महोदय, यह कि दिनांक 14.11.2018 को मेरे शिकायती पत्र पर आप द्वारा जाँच कराई गई है यदि हाँ तो उक्त जाँच आख्या की समस्त प्रमाणित प्रति एवं जाँचोपरान्त की गई कार्यवाही की समस्त प्रमाणित प्रति देवें।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त सूचना निर्धारित समयावधि के अन्दर देने की कृपा करें।

संलग्नक - (1) निर्धारित शुल्क 60.10.00 का
भा०पो०आ०न० - 46F 467429।
(2) उपरोक्तानुसार कुल 5 पन्ने।

प्रार्थी
संजय मिश्रा
(संजय मिश्र)

दिनांक - 14.11.2018

प्रेषक - संजय मिश्रा
(RTI-कार्यकर्ता)
EWS-397,
राप्तीनगर फेज-IV
स्पोर्ट्स कालेज के पीछे
चरगांवा-गोरखपुर-273013
मो0-9450881556

सेवा में,
चेयरमैन महोदय
पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया
कटवारिया सराय
नई दिल्ली - 110016

विषय - RTI से प्राप्त सूचना के आधार पर PGCIL बरेली के अधिकारियों ने नियमों का पालन न करते हुए विदेशी कम्पनी को आर्थिक लाभ पहुचाते हुए देश को शासकीय क्षति / वित्तीय क्षति पहुचाई, जिसकी जाँच विजिलेन्स से कराते हुए उनके विरुद्ध विधि अनुकूल / विभागीय कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,
आर.टी.आई. से प्राप्त सूचना सन्दर्भ: पावरग्रिड / उ.क्षे-3 / आर.टी.आई. / 140/1318 दिनांक 20.09.2018 के अनुसार पावरग्रिड बरेली सब-स्टेशन निर्माण हेतु मेसर्स GET&D को तीन पैकेज (कार्य) अवार्ड हुए।

(1) Construction of 765/400 KV बरेली (New) s/s में रु0 78,60,12,702=00 में कार्य अवार्ड हुआ इस कार्य के शुरु करने की तारीख 25.10.2011 एवं कार्य समाप्त करने की तारीख 02.03.2015 नियत थी, यह कार्य दिनांक 16.12.2015 को समाप्त हुआ जिसकी लागत रु0 77,86,38,505 आयी।

(2) Extension of 400kv बरेली s/s (NRSS-XXI के तहत) में रु0 9,78,03,030=00 में कार्य अवार्ड हुआ इस कार्य के प्रारम्भ करने की तारीख 25.10.2011 एवं कार्य समाप्त करने की तारीख 02.03.2015 नियत थी यह कार्य दिनांक 22.04.2015 को समाप्त हुआ इस कार्य में समयावधि बढ़ाई गई थी और इस कार्य में Final Amended वैल्यू में LD (लिक्वीडेटेड वैल्यू) रु0 1,47,607+GST (0.157%) काटा गया था।

(3) Extension of 400kV बरेली s/s (NRTSS के तहत) में रु0 4,89,35,589=00 में कार्य अवार्ड हुआ, इस कार्य के प्रारम्भ करने की तारीख 25-10 2011 एवं कार्य समाप्त करने की तारीख 24.08.2013 नियत थी, यह कार्य दिनांक 01.04.2014 को समाप्त हुआ, इस कार्य को समाप्त करने के लिए समयावधि (Time Ext.) बढ़ाई गई थी और इस कार्य में Final Amended वैल्यू में LD रु0 24,09,902=00+GST (5%) काटा गया था।

महोदय उपरोक्त पत्रांक से प्राप्त उत्तर के अनुसार संविदा के प्रावधानों के अनुसार समयावधि में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में LD काटने का प्रावधान है जो 5% है।

महोदय उपरोक्त तीनों कार्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बिन्दु संख्या तीन (3) में तो संविदा के नियमों का पालन किया गया जबकि यह सबसे कम धनराशि के लिए कार्य अवार्ड था परन्तु बिन्दु संख्या-1

एवं 2 में संविदा के नियमों का पालन नहीं किया गया। आज लगभग 4 वर्ष बीतने के बाद भी अभी LD तय नहीं की गई है, जबकि बिन्दु संख्या-1, जो कि सबसे ज्यादा धनराशि का कार्य था यदि इसमें LD करती तो लगभग 4 करोड़ रु० के आस-पास करती एवं बिन्दु संख्या 2 में 0.5% काटी जाती है जबकि इसमें भी लगभग 50 लाख रु० के आस-पास करती परन्तु PGCIL के अधिकारियों ने इसका पालन (संविदा के नियमों का) नहीं किया एवं विदेशी कम्पनी को नियमों को ताक पर रख कर आर्थिक लाभ पहुंचाया।

महोदय PGCIL बरेली में हुए कार्यों की भी जाँच आवश्यक है क्योंकि वहां के कार्य की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है और इसमें PGCIL के अधिकारियों एवं GE T&D ने आपस में मिलीभगत कर देश को आर्थिक क्षति पहुंचाने का कार्य किया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इसकी जाँच कराकर जो भी अधिकारी/कर्मचारी इसमें संलिप्त हो उनके विरुद्ध विधि अनुकूल एवं विभागीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को भी की गई सम्पूर्ण कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें।

प्रार्थी
संजय मिश्रा
(संजय मिश्र)

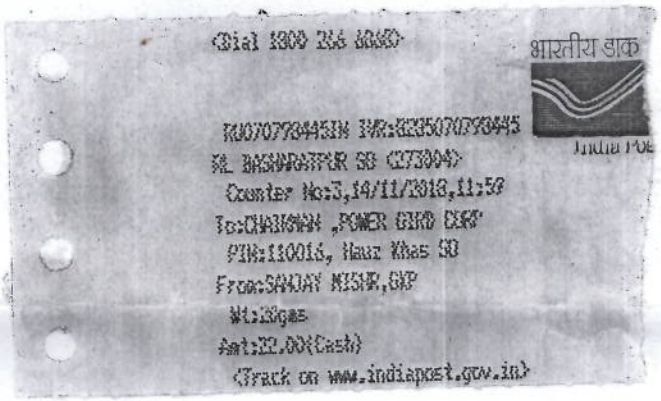

दिनांक– 30/05/2019

प्रेषक– संजय मिश्र
EWS-397
राप्तीनगर फेज–IV
स्पोटर्स कालेज के पीछे
चरगाँवा, गोरखपुर–273013
मो0 9450881556।

सेवा में,

शाखा प्रमुख
केन्द्रीय अनवेषण ब्यूरो
भ्रष्टाचार निवारण शाखा
नवल किशोर रोड, लखनऊ।

विषय– PGCIL बरेली के अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन न करते हुए देश को आर्थिक क्षति/वित्तीय क्षति पहुँचायी, इसकी जाँच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधि अनुकूल कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 17/09/2018 को मैने RTI के अर्न्तगत अधिशासी निदेशक/जनसूचना अधिकारी PGCIL 12 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ से 4 बिन्दुओं पर बरेली के संदर्भ में प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर PGCIL के पत्रांक संदर्भ : पावरग्रिड/उ0क्षे0–3/आर0टी0आई0/140/13181 दिनांक–20/09/2018 के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ (प्रति संलग्न)। PGCIL द्वारा भेजे गये उपरोक्त उत्तर का विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त प्रथम् दृष्टया यह पता चलता है कि PGCIL के अधिकारियों/कर्मचारियों ने नियमानुसार कार्यवाही न करते हुए **AREVA/ALSTOM/GE T&D** को आर्थिक लाभ पहुँचाते हुए देश को आर्थिक क्षति पहुँचाई, तब मैने एक विस्तृत पत्र सारे तथ्यों के साथ **चेयरमैन** PGCIL नई दिल्ली को दिनांक–14/11/2018 को लिखा एवं जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आग्रह किया (प्रति संलग्न)।

महोदय, दिनांक–27–05–2019 को मुझे PGCIL लखनऊ के ऑफिस में उपरोक्त पत्र का जबाव प्राप्त हुआ इनके पत्रांक संदर्भः सं0– उ0क्षे0–3/बरेली/157 दिनांक–23 मई 2019 में वरि0 महाप्रबन्धक बरेली में यह कहा है कि संविदा के प्रावधानों और कंपनी के दिशा निर्देशों के अनुसार LD का निर्धारण किया गया है और इसमें कोई अनियमित्ता नही बरती गई है (प्रति संलग्न)। जबकि इन्होने RTI के जबाब में यह बताया है कि कार्य निर्धारित समयावधि में समाप्त न होने की स्थिति में कान्टेक्ट वैल्यू का 5% LD काटने का प्रावधान है। मैने लखनऊ ऑफिस में यह जानने का प्रयास किया कि 5% LD (लिक्विडेटेड डैमेज) कैसे काटी जायेगी तो मुझे यह बताया गया कि प्रति सप्ताह कान्टेक्ट वैल्यू का 1% काटी जायेगी और यह 5 सप्ताह तक लगातार अधिकतम 5% तक काटी जायेगी।

महोदय जब PGCIL बरेली ने RTI के जबाव में कार्य शुरु करने की तारीख एवं कार्य समाप्त करने की तरीख का उल्लेख किया एवं RTI के जबाव में प्रश्न संख्या–2 के उत्तर के बिन्दु संख्या–iii में तो इन्होने संविदा के नियमो का पालन किया परन्तु बिन्दु सं0– i एवं ii में इन्होने नियमों का पालन नही किया।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे पत्र एवं RTI से प्राप्त उत्तर का अध्ययन कर निष्पक्ष जाँच करते हुऐ जिन्होने देश को आर्थिक क्षति पहुँचाई, "देशहित एवं राष्ट्रहित" में जाँच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विधि अनुकूल कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को भी आप द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत करते रहने की कृपा करते रहें।

संलग्नक – उपरोक्तनुसार कुल 6 पन्ने

प्रार्थी

संजय मिश्र

संजय मिश्र

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

पावरग्रिड

केन्द्रीय कार्यालय: "सौदामिनी" प्लॉट सं. 2, सैक्टर–29, गुडगाँव–122 001, (हरियाणा) दूरभाष: 0124-2571700-719, फैक्स : 0124-2571762,
"Saudamini" Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon-122 001, (Haryana) Tel. : 0124-2571700-719, Fax : 0124-2571762, Web.: www.powergridindia.com

CIN : L40101DL1989GOI038121

अनुस्मारक
पंजीकृत डाक द्वारा

CC:VIG:IW:2018:/1443

Date: 07.06.2019

To

श्री संजय मिश्र
EWS-397, राप्तीनगर फेज- IV
स्पोर्टस कालेज के पीछे
चरगॉवा- गोरखपुर- 273013
मो.: 9450881556;

विषय : आपके शिकायत पत्र "आर.टी.आई. से प्राप्त सूचना के आधार पर पावरग्रिड बरेली के अधिकरियो ने नियमो का पालन न करते हुए विदेशी कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए देश को शासकीय क्षति/ वित्तीय क्षति पहुचाई, जिसकी जॉच विजिलेंस से करते हुए अनके विरूद्ध अनुकुल / विभागीय कार्यवाही करने " के सबंध में

संदर्भ : पावरग्रिड द्वारा इसी संदर्भ में भेजा गया पत्र सं. CC:VIG:IW:2019: दिनॉक: 11.12.2018

महोदय,

पावरग्रिड को सम्बोधित उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक: 14.11.2018, का आपका एक शिकायत पत्र, पावरग्रिड को प्राप्त हुआ। यह शिकायत उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम से भेजी गई है । इसी संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या: 01/01/2015 दिनांक 23.01.2015 द्वारा जारी कि गई गाइड्लाइन के अनुसार, आगे की कार्यवाही/जॉच के पहले शिकायतकर्ता से यह पुष्टि लिखित में लेना आवश्यक है कि उक्त शिकायत उसके द्वारा दर्ज की गयी है।

अत: उपरोक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग गाइड्लाइन के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि यह शिकायत आपने की है या नही की पुष्टि के लिये एक पत्र, इस पत्र के प्राप्त होने के बाद, पंद्रह दिनो के भीतर भिजवाने की कृपा करे। आपसे यह भी अनुरोध है कि आपका पहचान-पत्र भी सलग्न कर भिजवाये । आगे की कार्यवाही केवल आपके द्वारा पुष्टि करने पर ही होगी ।

धन्यवाद सहित ।

भवदीय

(राजेंद्र गुर्जर)
उप महाप्रबंधक(सतर्कता)

प्रेषक,

दिनांकः– 29.06.2019
29.06.2019

संजय मिश्र
EWS-397
राप्तीनगर फेज–IV
स्पोर्टस कालेज के पीछे
चरगांवा, गोरखपुर–273013
मो0– 9450881556

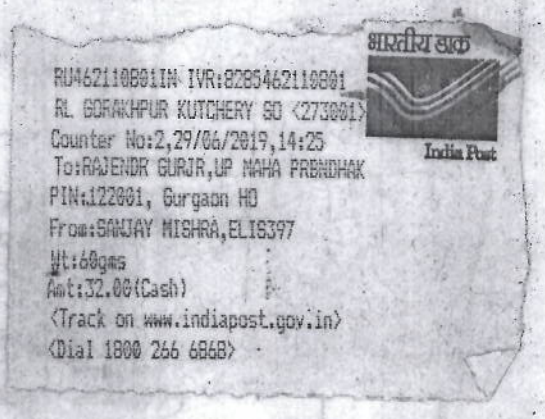

सेवा मे,

श्री राजेन्द्र गुर्जर जी,
उप महाप्रबन्धक (सतर्कता)
PGCIL, सौदामिनी
प्लाट न0–02, सेक्टर–29
गुड़गांव –122001(हरियाणा)

विषयः **CC:VIG:IW: 2018/1443** दिनांक 07.06.2019 के सम्बन्ध में।लखनऊ

महोदय,

आपका उपरोक्त पत्र मुझें 28.06.2019 को प्राप्त हुआ, इस पत्र के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आप ने मुझे पूर्व में भी पत्र भेजा था पत्र सं0 CC:VIG:IN:2019 दिनांक 11.12.2018 को परन्तु बड़े खेद के साथ आप को यह अवगत कराना पड रहा है कि आप का भेजा हुआ पत्र मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ यदि पोस्ट आफिस से उस पत्र की पावती आप के पास हो तो कृपया पत्र की प्रति एवं पावती देने की कृपा करें, जाचोपरान्त जॉच आख्या के साथ।

महोदय, दिनांक 27.06.2019 को शाम 05:04 pm पर आपके आफिस से श्रीमती सेठी मैडम जी ने मो0 नं0–9871791017 से मेरे मो0 नं0–9450881556 पर 08 मि0 24 सेकेन्ड बात की मैने मैडम को सन्तुष्ट किया कि मैने ही शिकायत की है। महोदय यदि आपके आफिस से उपरोक्त अनुस्मारक पत्र भेजने के उपरान्त मुझसे बात की जा सकती थी तो पूर्व में भी की जा सकती थी परन्तु मेरे द्वारा सी0बी0आई0 लखनऊ को पत्र लिखने के बाद ही आप का अनुस्मारक उपरोक्त पत्र भी प्राप्त होता है एवं मेरे मो0 नं0 पर बात कर, संतुस्ट हुआ जाता है।

महोदय, उपरोक्त शिकायत मेरे द्वारा ही की गयी है आपने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की गाईड लाईन के अनुसार मेरे पहचान पत्र की मांग की है। मेरा ड्राईविंग लाईसेंस की प्रमाणित प्रति (प्रति संलग्नक) दिनांक 30.05.2019 को सी0बी0आई0 लखनऊ को लिखे पत्र की प्रति (प्रति संलग्न) संदर्भ सं0 उ.क्षे.–3/बरेली/157 दिनांक 23 मई 2019 के पत्र के कापी की प्रति (प्रति संलग्नक) मा0 चेयरमैन महोदय PGCIL नई दिल्ली को मेरे द्वारा दिनांक 14.11.2018 को लिखे पत्र की प्रति (प्रति संलग्नक) एवं RTI की कापी एवं प्राप्त उत्तर की कापी संलग्न कर भेज रहा हू।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आप द्वारा की जा रही कार्यवाही से प्रार्थी को भी कराते रहने की कृपा करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार कुल 9 पन्ने।

प्रार्थी
संजय मिश्रा

(संजय मिश्र)